बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

# संकल्प

पटना, दिनांक– 11 जून, 2012

विषयः– अग्निशाम सेवा में अग्निकों एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाहियों के पद पर सीधी नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

बिहार अग्निशाम सेवा में स्वीकृत अग्निक का पद सिपाही कोटि का है । वर्ष 1990 में अग्निकों के रिक्त पद पर नियुक्ति हुई थी । उस समय अग्निशाम सेवा पर बिहार पुलिस मैनुअल लागू होने के कारण सिपाही की नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार नियुक्ति की गई थी तथा गृह रक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था ।

2. वर्तमान में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताएँ, चयन प्रक्रिया तथा चयन का मापदण्ड गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना संख्या–6843, दिनांक 11.08.2008 एवं अधिसूचना संख्या–377, दिनांक–06.01.2012 द्वारा संशोधन किया गया है ।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा भली–भाँति विचारोपरान्त अग्निकों एवं गृह रक्षा वाहिनी के सिपाहियों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निम्नांकित निर्णय लिया गया है :–

**(i.)** अग्निकों एवं गृह रक्षा वाहिनी के सिपाहियों के पद पर सीधी नियुक्ति केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा की जायेगी ।

**(ii.)** सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताएँ, चयन प्रक्रिया तथा चयन का मापदण्ड आदि (समय–समय पर यथा संशोधित) अग्निकों एवं वाहिनी के सिपाहियों की नियुक्ति पर भी लागू होगी ।

**(iii.)** अग्शिाम सेवा में अग्निकों का पद रिक्त रहने के कारण वर्तमान में गृह रक्षकों को अग्निकों के पद पर प्रतिनियुक्त कर कार्य लिया जा रहा है । प्रतिनियुक्त गृह रक्षक अग्निशाम सेवा के लिए तकनीकी रूप से अनुभवी एवं अग्निक के कार्य में दक्ष हो गये हैं । अतएव अग्निकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद कोटिवार गृह रक्षकों से भरा जायेगा । योग्य गृह रक्षक की अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटा की शेष रिक्तियों को उसी कोटि में गैर गृह रक्षक से विधिवत चयन कर उम्मीदवारों से भरा जायेगा ।

**(iv.)** अग्निकों एवं गृह रक्षा वाहिनी के सिपाहियों की नियुक्ति हेतु पूर्व के आदेशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी 100 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्याः– 6/अग्नि0से0–01–01/2012–4817 /पटना, दिनांक 11 जून, 2012

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ महानिदेशक–सह– महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा, बिहार, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना/ राज्य अग्निशाम पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव